## न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहत्तां भूमि सुधार, साहेबगंज।

लगान निर्धारण वाद सं0–05/2016–17 हीरा लाल पंढित वगै0–बनाग–16 आना रैयत, मौजा–पुराना साहेबर्गज।

## आवेदकगण

- हीरा लाल पंडित, पिता–स्व0 हरगोविन्द पंडित
- रामलाल पंडित, 3. बाबुलाल पंडित, दोनों पिता–स्व० हरगोविन्द पंडित,
- गणौरी पंडित, पिता–स्व0 मटरू पंडित एवं
- सागर पंडित, पिता–हरि पंडित , सभी सा0–पुराना साहेबगंज। नगरपालिका होल्डिंग नं0–186, पो0+थाना–साहेबगंज जिला–साहेबगंज, झारखण्ड।

विपक्षी

16/आना रैयत, मौजा– पुरानी साहेबगंज।

--: आदेश :--

उक्त अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, सोहबगंज के प्रत्रांक—336/डी0बी0, दिनांक—01.03.2016 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त वाद की कार्रवाई आवेदकगण के द्वारा दाखिल लगान निर्धारण के आलोक में दिनांक—12.01.2017 को उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, साहेबगंज के द्वारा प्रारंभ किया गया।

आवेदकगण द्वारा दाखिल आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा—पुराना साहेबगंज (असर्वेक्षित), वार्ड नं0—24, अंचल—साहेबगंज, जिला—साहेबगंज के अन्तर्गत सुखवासी जमीन होल्डिंग नं0—186, कुल रकवा—00—03—15 धूर जमीन पर घर बनाकर आवेदकगण सपरिवार निवास करते हुए आ रहे है। जिसका चौहद्धी निम्न प्रकार है:—उत्तर— गिवेंणी चौधरी, दक्षिण:—नगरपालिका सड़क, पूरब:—विद्यासागर चौधरी, पिता—रामसागर चौधरी, पश्चिम:— बेलाल पंडित है। उक्त जमीन का आवेदकगण के द्वारा लगान निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु आवेदन की प्रति अंचल अधिकारी, साहेबगंज को अनुमंडल के पत्रांक—165/डी0बी0, दिनांक—18.07.2012 को भेजी गयी।

अंचल अधिकारी, साहेबगंज का पत्रांक-687/रा0, दिनांक-01.09.2012 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा स्थल जाँच किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदकगण 1. हीरा लाल पंडित, पिता-स्व0 हरगोविन्द पंडित, 2. रामलाल पंडित, 3. बाबुलाल पंडित, दोनों पिता-स्व0 हरगोविन्द पंडित, 4. गणौरी पंडित, पिता-स्व0 मटरू पंडित, 5. सागर पंडित, पिता-स्व0 हरि पंडित, सभी सा0-पुरानी सोहबगंज, वार्ड नं0-24 के है। मौजा-पुराना साहेबगंज असर्वेक्षित मौजा है। जिसका खतियान उपलब्ध नहीं है। खातियान के अभाव में गैरमजरूआ आम, खास, भूमि चिन्हित नहीं है। स्थल निरीक्षण पर पाया कि आवेदकगण मौजा-पुराना साहेबगंज के बेलगानी सुखवासी जमीन 00-03-05 धूर जमीन पर मिट्टी, टाली का मकान बनाकर सपरिवार कई पुस्तों से निवास करते है। जमीन्दार के समय में जमींदार लोग अपने जमींदारी में ब्रह्मण, नाई, कुम्हार, लोहार, मोची, कोम, चमार जाति के लोगों को बेलगानी भूमि पर बसाते थे एवं ऐसी भूमि को सुखवासी भूमि कहा जाता है। आवेदकगण जाति के कुम्हार है एवं भूमिहीन की श्रेणीय में आते है। उल्लेखित जमीन की चौहददी निम्न प्रकार है– उत्तर-गिवेणी चौधरी, दक्षिण:-नगरपालिका सड़क, पूरब:-विद्यासागर चौधरी, पश्चिम :-बेलाल पंडित है। इसी चौहददी के अन्तर्गत आवेदकगण का आवेदित जमीन अवस्थित है। आवेदकगण के आवेदित जमीन मौजा-पुरानी साहेबगंज के बेलगानी भूमि रकवा-00-03-05 धूर जमीन का लगमग 16.00 रूपये निर्धारण हेतु अग्रसारित किया जा सकता है। हल्का कर्मचारी-सह-अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा मूल में मेजी गयी है।

अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर 16/आना रैयत को आपत्ति आमंत्रण नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। 16/आना रैयत की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति दाखिल नहीं की गई है।

आवेदित भूमि असर्वेक्षित हैं। उक्त मौजा का वर्त्तमान में सर्वे से संबंधित कार्य आवेदित भूमि असर्वेक्षित हैं। उक्त मौजा का वर्त्तमान में सर्वे से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है। दाग की विवरणी व नक्सा उपलब्ध नहीं होने के कारण भूमि का चिन्हित किया जाना संभव नहीं है।

अतः आवेदक अपेक्षित कागजात व साक्ष्य के साथ बन्दोवस्त कार्यालय में अपना दावा व पक्ष रखना सुनिश्चित करें। लगान निर्धारण के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, साहेबगंज।

उपसमाहत्ता भूमि सुधार, साहेबगंज।